

अध्याय

2

शोध अभिकल्प

और

उसकी अन्तर्वस्तु

शोध अभिकल्प और उसकी अन्तर्वस्तु:—

यह शोध प्रबन्ध "मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता" का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है। मूलतः जाति व्यवस्था हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न घटक है। इसका प्रभाव मुस्लिम समुदायों के सामाजिक सम्बन्धों में भी देखा जाता है।¹ मुसलमानों में भी समाज का विभाजन वैसा ही है जैसा हिन्दू समाज में। ये जातिगत परम्परागत व्यवसाय और अन्तर्विवाही वंशानुक्रम में विभक्त हैं। जो परस्पर स्थानीय सोपान क्रम में हिन्दू जातियों जैसे ही हैं। विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनों से स्पष्ट है कि प्रत्येक समुदाय एक वंशगत व्यवसाय से जुड़ा है। अपने स्थानीय क्षेत्र में प्रत्येक मुस्लिम जातिगत परम्परागत व्यवसाय हिन्दू समूहों के साथ जजमानी सम्बन्ध रखते हैं। एक गांव के मुस्लिम अपनी समूह की आन्तरिक एकता उसी तरह बनाये रखते हैं जिस प्रकार एक हिन्दू जाति। कहीं पर एक मुस्लिम समूह का नाम वही है जो एक जातीय समूह की है। हिन्दू जातियों में कठोर जाति व्यवस्था है वे अपनी जाति से पृथक् अस्तीत्व की कल्पना नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है तो वे जाति से वहिष्कृत कर दिये जाते हैं। यही नहीं कठोर सामाजिक आर्थिक दण्ड से दण्डित भी किये जाते हैं। यद्यपि आधुनिक परिवेश में इनमें परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मुस्लिम समुदाय हिन्दू जाति व्यवस्था से प्रभावित है। लेकिन इनमें हिन्दू जाति व्यवस्था जैसी कठोरता नहीं है।

(1) GUHA UMA- Caste among Rural Bangla Muslims man in
India, RANCHI, APRIL-JUNE 1965 P 167

इससे स्पष्ट होता है कि किन्हीं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में ये हिन्दूओं से प्रभावित है तो इनमें इस्लाम धर्म के उदारवादी सामाजिक समानता के सिद्धान्तों और विचारों का भी समावेश है। मुस्लिम सामाजिक संरचना में जाति एक महत्वपूर्ण इकाई है। जो हिन्दू धर्म से प्रभावित दिखती है। लेकिन अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशीय मूल्यों और आदर्शों से अपने को पृथक भी नहीं कर पाते हैं। बल्कि इन्होंने सामंजस्य स्थापित कर लिया। इस सन्दर्भ में सतीश मिश्रा का अध्ययन प्रासंगिक है। इसका उल्लेख करते हुए इन्होंने लिखा है कि मुस्लिम विजेता अपनी प्रजातीय अस्तित्व को बनाये नहीं रख सके। वे अपनेआप को भारतीय वंश और परिवारिक परिवेश में सामांजस्य स्थापित कर लिया।² यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि मुस्लिम समुदाय विभिन्न जातीय समूहों में विभक्त है। दूसरे शब्दों में हिन्दूओं जैसे समाज का विभाजन मुस्लिम समुदायों में भी है। इस सन्दर्भ में ग्रास अन्सारी का अध्ययन प्रासंगिक है। उन्होंने 1960 के मुस्लिम समुदायों के अध्ययन में पाया की हिन्दू वर्ण व्यवस्था से थोड़ा भिन्न मुस्लिम समुदायों में सामाजिक विभाजन पाया जाता है।³ मुस्लिम समुदायों में "अशरफ शब्दावली" सम्मानजनक समूहों के लिए प्रयुक्त होता है। जबकि दूसरों के लिए "अजलफ"। इन दोनों समूहों में अन्तर केवल इतना है जितना हिन्दूओं में द्विज तथा गैर द्विज में होता है। अशरफ समुदाय के लोगों से अभिप्राय विशिष्ट जीवन पद्धति से है ये प्रायः भू स्वामी हैं जिनके पूर्वज विदेशी या

(2) MISHRA SATISH- MUSLIMS COMUNITIES IN
GUJRAT, BOMBAY P. 158 0 9647

(3) ANSARI GRASS- MUSLIMS CASTE IN UP
ANTHRO POLO- ZIST LUCKNOW.

गैर भारतीय मुस्लिम थे।⁴ हिन्दू वर्ण व्यवस्था में ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की भांति मुस्लिम समुदाय भी चार वर्गों में विभाजित है। सैयद, शेख, मुगल, पठान।⁵ जफर शरीफ ने "हरलाकत कुवैनन आई इस्लाम" के अनुवाद के आधार पर मुस्लिम समुदायों में उपरोक्त चार समूहों का उल्लेख किया है।⁶ प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इनका संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है।

मुस्लिम समुदाय में सैयद का सर्वोच्च स्थान है तथा समाज में ये प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सैयद समूह वाले इस्लाम के चौथे खलीफा की पुत्री के वंशज हैं। ये लगभग बीस शाखाओं में विभक्त हैं। प्रत्येक शाखा अन्तर्विवाही होती है। लेकिन अन्य श्रेणी बहिर्विवाही होती है। मुस्लिम समुदाय में शेख समूह का स्थान सैयद के बाद आता है। अर्थात् मुस्लिम समुदाय में इनका स्थान दूसरा है। ये सैयद वंश से निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में इनका स्थान सैयद वंश से सामाजिक प्रतिष्ठा से निम्न स्तर का होता है। ऐसा माना जाता है कि शेख और सैयद के बीच उच्च शाखाओं को छोड़कर अन्य भागों में वैवाहिक सम्बन्ध होता है तीसरे तथा चौथे स्थान पर क्रमशः मुगल तथा पठान हैं। जो क्रमशः अपने को मंगोल और अफगानी के वंशज मानते हैं। जिनका अधिपत्य भारत में था।

(4) PROF. SHRIVASTAV PRN- BHARTIYA SAMAJ,
SAMAJ SHASTRYA VIVE CHAN GYANDEEP
PRAKASHAN PATNA 1991

(5) ANSARI GRASS- IBID

(6) SHARIF JAFAR- QUANAN I ISLAM LONDON P-9

उपरोक्त चारों के अलावा सबसे निम्न स्तर पर वे मुस्लिम हैं जिनका व्यवसाय निम्न श्रेणी का है। इन लोगों ने अपना नाम अपनी जाति व्यवसाय के आधार पर रखा है। उच्च जाति के लोग उनके साथ खाने-पीने में भागीदार नहीं होते हैं। किसी-किसी क्षेत्र में निम्न श्रेणी के मुस्लिम मस्जिदों में सामुहिक रूप से सम्मिलित नहीं किये जाते हैं। हालांकि इस्लाम धर्म में सभी को समान समझा गया है। यह भी सत्य है कि मुस्लिम समुदाय में सामाजिक विभिन्नता के बावजूद सभी मुस्लिम एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं एक साथ खाना खाते हैं तथा सामुहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। अध्ययन में यह पाया गया है कि धार्मिक दृष्टि से इस्लाम में सभी को समान माना गया है। लेकिन सामाजिक एवं जातिगत आधार पर देखने से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम जाति व्यवस्था भी हिन्दू जाति व्यवस्था से प्रभावित है।

मैंने अपने अध्ययन में पाया कि मुस्लिम समाज में जातिगत भेदभाव उत्पन्न हुए हैं। इनके सदस्यों में अपने से निम्न जातियों के यहाँ भोजन तथा खानपान में भेदभाव करते हुए देखने को मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिन्दू जाति व्यवस्था ने मुस्लिम जाति व्यवस्था को प्रभावित ही नहीं किया अपितु कई सन्दर्भों में उसे अपने में समाहित भी किया है। जिलान खान ने लिखा है कि इस्लाम के सिद्धान्त के अनुसार सभी मनुष्य समान हैं इसलिए इनमें समानता की भावना स्वाभाविक है। लेकिन इनमें वंशानुगत भिन्नता पायी जाती है। जबकि कट्टरपंथी जातीय भिन्नता को स्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये लोग खान पान तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भेदभाव नहीं मानते हैं।⁷

(7) KHAN ZILAN- Caste among Muslims pesantary in India and Pakistan, man in India, APRIL-JUNE 1969 vol 48, 13414 IBID P. 32

इस प्रकार मुस्लिम जाति व्यवस्था मे हिन्दू जाति व्यवस्था की विशेषताएं किसी ना किसी रूप मे परिलक्षित होती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सभी हिन्दू जातियों के लिए एक ही प्रकार का अनुष्ठान नहीं होता है। इन दोनो के धार्मिक पुजारियो (मुल्ला पंडित) की महत्ता लगभग समान होती है। यह भी देखने को मिलता है कि इन दोनो पुजारियो से लाभ हिन्दू और मुस्लिम दोनो लेते है। इन दोनो समुदायो द्वारा एक दूसरे के पूजा स्थल, मजार पर पूजा या मन्त मांगना एक आम बात है। यद्यपि यह मनोवृत्ति हिन्दू समुदायो मे अधिक परिलक्षित होती है। यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक विशेषताएं हिन्दू समुदायो की तरह है। ऐसा माना जाता है कि जो मुसलमान हिन्दू से धर्मान्तरण किये है उनमे अन्तर्विवाह और वहिर्विवाह के नियमो का पालन होता है।⁸ इनमे अजनबी के साथ खान पान का प्रतिबन्ध भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस सन्दर्भ मे मो० यासीन का अध्ययन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार सैद्धान्तिक रूप से मुस्लिम समुदाय जाति विहिन समाज है लेकिन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, कारको ने इसे वर्गीय समाज मे परिवर्तित कर दिया जो जातीय कठोरता से भिन्न है।⁹ मुस्लिम समुदायो मे हिन्दू जाति व्यवस्था की तरह अस्पृश्यता की

-
- (8) KHAN ZILAN- Caste among Muslims
peasantary in India and pakisthan, man in
India APRIL-JUNE 1969 vol 48, 134, 14
- (9) YASEEN MOHAMMAD- SOCIAL HISTORY OF
ISLAM LUCKNOW 1958 P 1979, 15

भावना नहीं होती है। लेकिन निम्न वर्गीय भारतीय मुसलमान अपने को निम्न श्रेणी हीन भावना से मिटा नहीं सके। यहाँ तक की मुस्लिम सामाजिक संस्तरण में भी इनको निम्न सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त है। कट्टरपंथी मुसलमान उन्हें उनकी मूल सामाजिक व्यवस्था से पृथक नहीं कर पाये हैं। यही कारण है कि मुस्लिम समुदायो में भी जातीय कारक अपने अस्तित्व को बनाये हुए है।

मूरे टिट्स ने लिखा है कि इस्लाम जातियो की विभिन्नता को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं जो हिन्दू सामाजिक परिवेश का प्रभाव है।¹⁰

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मुस्लिम परम्परागत भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में अर्न्तनिहित मूल्य व्यवस्था के साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात कर दिये हैं। बल्कि इनमें किन्ही न किन्ही रूपों में दोनों की सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। इसे एक सांस्कृतिक मिश्रण कहा जा सकता है। यदि यह कहा जाय कि यह दोनों सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था के सम्पर्क का परिणाम है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इस सन्दर्भ में 1931 के भारतीय जनगणना में ऐसे तीन परिवर्तनों की चर्चा की गयी है। गुजरात प्रदेश का उदाहरण देते हुए यह कहा जा सकता है कि इस शताब्दी के प्रारम्भ में सुन्नी बोहरा कृषक थे अब व्यापारिक बन गये हैं। किन्तु उनका समूह नाम पहले जैसा ही है। कुछ अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुजरात के

(10) TITUS MURRAY- INDIAN ISLAM OXFORD 1930 P
168, 16 IBID

मुस्लिम समुदायो मे विखण्डन की प्रवृत्ति अधिक है। इस प्रवृत्ति के कारण एक समुदाय वाले उपशाखाओ मे विभक्त हो जाते है। लेकिन प्रत्येक समुदाय मे उन्हे सम्मिलित किया जाता है जो एक परिवार के सदस्य है। यह भी देखा जाता है कि एक परिवार वाले निश्चित धार्मिक नेता से अनुदेशित होते है तथा दूसरे विखंडित परिवार वाले मौलवी का सहारा लेते है। इस तरह कालक्रम मे विशिष्ट समुदाय वाले कई एक उपशाखाओ मे विभक्त हो जाते है। सभी लोगो मे धार्मिक प्रवृत्तिया सामान्य हो, यह आवश्यक नही है। जिस प्रकार हिन्दू जातियो मे जाति समूह का एक संघ देखा जाता है उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय मे क्षेत्रो के आधार पर संघो की सदस्यता ग्रहण की जाती है। जिस प्रकार हिन्दूओ मे व्यावयिक गतिशीलता दिखाई देती है। जबकि हिन्दू परम्परागत सामाजिक व्यवस्था मे कठोर सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिबन्धो और निषेधो से संचालित है। वही मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था मे अन्तर्निहित सामाजिक-सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताएं और विश्वास इसके विपरित दिशा की ओर इंगित करते है। आधुनिक बदलते परिवेश मे मुस्लिमो के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यो मे परिवर्तन हुआ है।

नवीन प्रजातन्त्रिक, मूल्यो, संचार के साधनो, शिक्षा और राजनैतिक जागरुकता ने व्यवसायिक गतिशीलता के साथ-साथ जातीय गतिशीलता को भी अभिप्रेरित किया है। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि हिन्दूओ मे जातीय गतिशीलता नही है। हालाँकि जातीय सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिबन्ध और निषेध कमजोर हुए है। जातीय अस्पृश्यता की परम्परागत सामाजिक मान्यताएं कमजोर हुई है। जबकि इनमे व्यवसायिक गतिशीलता की मात्रा अधिक है। मुस्लिम समुदायो मे व्यवसायिक और जातीय गतिशीलता दोनो मे तीव्र गति से परिवर्तन हुए है। इससे स्पष्ट है कि इनमे सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति मे उन्नयन करने के अवसर उपलब्ध होने पर जातीय गतिशीलता मे अभिरुचि होती है।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनमें केवल उच्च सामाजिक प्रस्थिति की दिशा में सामाजिक परिवर्तन होता है। बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि आर्थिक प्रस्थिति में गिरावट होने पर इनमें निम्न जातीय गतिशीलता भी पायी जाती है। यही हमारे शोध प्रबन्ध की विषयवस्तु है।

पूर्ववर्ती अध्ययनों की समीक्षा:—

मुसलमानों में जातीय गतिशीलता सम्बन्धित अध्ययन अपेक्षाकृत नया है। ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय में व्यवसायिक गतिशीलता अधिक तीव्र हो रही है। जिसके फलस्वरूप इनकी सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति में उन्नयन हुआ है। यह भी देखा गया है कि जिनको रोजगार के नये अवसर नहीं मिल पाये हैं उनकी सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति में अवन्यन हुआ है। वास्तव में शिक्षा, रोजगार के नये अवसर की उपलब्धता, राजैतिक जागरुकता आदि ऐसे कारक हैं जिसने मुस्लिम समुदाय में सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक संरचना में बहुआयामी परिवर्तन किये हैं। वास्तव में यही जातीय गतिशीलता के लिए अत्यधिक उत्तरदायी कारक है। निम्न मुस्लिम समुदाय मुख्यतया अपने परम्परागत व्यवसाय को न करके उद्योग, फ़ैक्ट्रीयों में कार्य करने लगे हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। जिसके फलस्वरूप वह अपनी जातिगत व्यवसाय बदलने से उच्च जातीय समूहों के सामाजिक मानदण्डों और व्यवहार, प्रतिमानों को अपना लेते हैं। यहाँ तक की वे अपने को उच्च मुस्लिम जातियों की तरह सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में वे उच्च मुस्लिम जाति के सदस्य हो जाते हैं। वे अपने नामों को उपनाम मुस्लिम जाति सूचक शब्द से जोड़ लेते हैं। इसे मर्टन के विचारों में सन्दर्भ समूह का उल्लेख करना आवश्यक है। कुछ प्रमुख समाजशास्त्रीयों ने 1960-65 के

व्यवहार कहा जा सकता है।¹¹ इस सन्दर्भ में कुछ समाजशास्त्रीय अध्ययनों के दौरान मुस्लिम समुदाय में गतिशीलता सम्बन्धी अध्ययन किये हैं। इन अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला है कि हिन्दू जातियों की उपेक्षा मुस्लिम समुदायों में अल्पकालीन रेखीय गतिशीलता होती है। निम्न मुस्लिम जाति के व्यक्ति को उच्च जाति का सदस्य बन जाने से है। यह गतिशीलता शहरों में अधिक देखने को मिलती है। एक समुदाय विशेष के सन्दर्भ में यह पाया गया कि निम्न समूह के परिवार दो-तीन वर्षों के आर्थिक सम्पन्नता के कारण उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त कर लिया है ऐसे मुस्लिम परिवार का अन्य लोगों के साथ मिलना जुलना तथा मस्जिद के सामूहिक कार्यों में भाग लेना आसान हो जाता है। इस प्रकार जुलाहा, नाई, कसाई व्यवसायिक परिवार वाले आवश्यक अवसरों पर मौलवी की सेवा लेते हैं। मौलवी उनके यहाँ परिवारिक उत्सवों में उचित निर्देश देते हैं। ऐसे परिवारों के औरते जो पहले पर्दे में नहीं रहती थी अब वह बुर्का पहनकर बाहर निकलती हैं। जो सम्प्रान्त मुस्लिम परिवार का परिचायक है। जरीन अहमद ने लखनऊ के समीप एक गाँव के अध्ययन के आधार पर बताया कि कटिपय मुस्लिम परिवार वाले अपने को शेख बताते हैं। जो वास्तव में पहले जुलाहा निम्न व्यवसाय का कार्य करते थे। उसी क्षेत्र के "अशरफ" समुदाय वाले आरम्भ में नवान्गतुक परिवार से दूर रहते थे। परन्तु बाद में परिवारों में आने जाने लगे।¹² इससे स्पष्ट होता है कि

(11) मर्टन, आर. के.— सोशल थियोरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर


(12) AHMAD ZARIN- MUSLIMS CASTE IN U.P.
BOMBAY 1964

जातीय गतिशीलता के लिए व्यवसायिक गतिशीलता, शिक्षा, रोजगार के अवसर, लोकतान्त्रीक मूल्यों से निर्मित परिवेश आदि ऐसे कारक हैं जो गतिशीलता में सहायक हैं। इससे वे अपनी सामाजिक प्रस्थिति को बनाये रखने के लिए इतना तत्पर होते हैं कि अपना व्यवसाय समूह तथा जाति का नाम भी बदल देते हैं। सतीश मिश्रा (1964) ने अपने क्षेत्रीय अध्ययनों में कुछ मुस्लिम सदस्यों को यह कहते हुए पाया कि पहले हम कसाई थे, अब मैं शेख हूँ, अगले वर्ष फसल कटने के बाद सैयद हो जायेंगे।¹³

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम समुदाय में व्यवसायिक गतिशीलता के साथ-साथ जातीय गतिशीलता भी पायी जाती है। अर्थात् मुस्लिम समुदायों में जातीय तथा व्यवसायिक गतिशीलता दोनों को सामान्य रूपों में देखा जा सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्रीयों ने अपने-अपने अध्ययन में यह पाया कि मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता रेखीय रूपों में होती है। जिसमें व्यक्ति अवनति से उन्नति की ओर उन्मुख होता है। जबकि मैंने अपने अध्ययन क्षेत्र में पाया कि मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता रेखीय रूपों में न होकर चक्रीय रूपों में होती है। यह गतिशीलता नीचे से उपर तथा उपर से नीचे की ओर चक्रीय परिवर्तन में होती है। मैंने यह देखा कि वह व्यक्ति अन्सारी है लेकिन निर्धनता के कारण अपना जाति व्यवसाय बदल कर साई (फकीर) भिक्षा मांगने वाला बन गया है। जिसकी सामाजिक प्रस्थिति मुस्लिम समूहों में निम्न समझा जाता है। इसके परिवारों की संख्या ज्यादा अधिक है तथा वह अशिक्षित है। जो अपने स्तर का कार्य करके परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता था ऐसी प्रस्थिति में वह साई (फकीर) का व्यवसाय अपना लिया। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि यह गतिशीलता रेखीय रूपों

(13) MISHRA SATISH- MUSLIMS MUNITIES IN U.P.
BOMBAY

में होती है। बल्कि जिन लोगों को उच्च शिक्षा और आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त हो जाता है वे निम्न जाति से उच्च जाति में प्रवेश कर जाते हैं। जो इससे वंचित है वे उच्च सामाजिक प्रस्थिति से निम्न सामाजिक प्रस्थिति में चले जाते हैं। लेकिन गतिशीलता की यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती है। बल्कि इनमें मन्द गति से चक्रीय रूप में अवनति या उन्नति होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सीधे उच्च या निम्न सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त नहीं कर लेता है। बल्कि उसे एक चक्रीय प्रक्रिया से प्राप्त होती है। इस प्रकार मुस्लिम समुदायों में जातीय गतिशीलता को रेखीय न कहकर चक्रीय कहा जा सकता है। जिसे निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की विषय वस्तु यही है।



प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता का समाज शास्त्रीय अध्ययन करना है।

अध्ययन का उद्देश्य:—

- (1) उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रस्थिति के सन्दर्भ में जातीय गतिशीलता का अध्ययन करना।
- (2) उत्तरदाताओं की राजनैतिक जागरुकता की पृष्ठभूमि में जातीय गतिशीलता का अध्ययन करना।

- (3) उत्तरदाताओं की व्यवसायिक गतिशीलता के सन्दर्भ में जातीय गतिशीलता का अध्ययन करना।
- (4) उत्तरदाताओं की वंशानुगत जाति और व्यवसायिक गतिशीलता के सन्दर्भ में जातीय गतिशीलता का अध्ययन करना।
- (5) उत्तरदाताओं की जातीय गतिशीलता की अभिवृत्त्यात्मक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।

वास्तव में इस शोध प्रबन्ध में मेरा उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता का अध्ययन करना ही है।

उपकल्पना:—

मुस्लिम समुदाय में शिक्षा, रोजगार के नवीन अवसर की उपलब्धता अर्थात् व्यवसायिक गतिशीलता आदि कारकों के अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय में अन्तर्निहित सामाजिक समानता की भावना और वर्तमान राजनैतिक चेतना ने जातीय गतिशीलता को प्रोत्साहित किया है। इसके ठीक विपरित इससे वंचित और उदासिन व्यक्तियों में निम्न सामाजिक जातीय प्रस्थिति को अपनाने के लिए बाधक किया है।

अध्ययन क्षेत्र:—

अध्ययन क्षेत्र रसड़ा जो उ० प्र० के पूर्वांचल का अन्तिम पूर्वी जिला बलिया में स्थित है। यह क्षेत्र जिला मुख्यालय से 37 किमी पश्चिम में स्थित है। यह 20° से 33° और 26° से 11° उत्तरी अक्षांश तथा 83° से 88° और 88° से 39° पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। जनपद बलिया में साक्षरता का प्रतिशत 65.76 है। जबकि महिलाओं में इसका प्रतिशत 34.13 है। जो पुरुषों की अपेक्षा आधा है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि 233954 हेक्टेयर भूमि है। जिसमें 167540 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ और 177910 हेक्टेयर में रबी तथा 8476 हेक्टेयर भूमि पर अन्य फसल

उगाई जाती है। इस जिले में छः तहसील और 18 विकासखण्ड हैं। जिसमें रसड़ा तहसील जनपद का अग्रणी तहसील है। यहां पर सरकारी तथा गैर सरकारी औद्योगिक केन्द्र जैसे सरकारी चीनी मिल तथा कताई मिल हैं। तथा कई गैर लघु उद्योगों जैसे विस्किट के कारखाने, ब्रेड के कारखाने, नमकीन के कारखाने आदि शामिल हैं।

शैक्षणिक दृष्टि से यह विकास खण्ड अपना जनपद में विशेष छाप छोड़ा है। यहाँ पर कई सरकारी तथा गैर सरकारी इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज स्थापित हैं। यहां तक की इस क्षेत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित हैं। साथ ही यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टिकोण से भी अपना विशेष स्थान लिया हुआ है। यहां पर रहने वाले सभी हिन्दू व मुस्लिमों में धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहता है। यहां पर रहने वाले सभी जाति के लोग एक दूसरे के त्यौहारों व उत्सवों में भाग लेते हैं। इस सन्दर्भ में श्री नाथ बाबा, श्री रोशन शाह बाबा की पूजा और उत्सव का आयोजन साथ-साथ होना अत्यधिक उल्लेखनीय है।

यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में मुस्लिमों में जातीय गतिशीलता को देखा था। मेरी प्रबल इच्छा थी कि अध्ययन क्षेत्र के उन कारकों का पता लगाया जाय जो मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए मैंने उपरोक्त अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया।


शोध पद्धति:—

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप पर आधारित है। इसकी प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है। अध्ययन सम्बन्धी तथ्यों के चयन के लिए मैंने किसी निदर्शन पद्धति को नहीं अपनाया है। मैंने रसड़ा के मुस्लिम परिवारों के मुखिया को उत्तरदाता मान लिया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्य संकलन हेतु पूर्व परिक्षित साक्षात्कार अनुसूचि का प्रयोग किया गया है। इसमें अर्द्ध सहगामी,

अवलोकन पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। ताकि तथ्यों का गहराई से अध्ययन किया जा सके। इसके अतिरिक्त बातचीत द्वारा भी तथ्यों का संकलन किया गया है। तथा प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध अध्ययनों, सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों व रिपोर्टों पत्र, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से भी सूचनाएँ प्राप्त की गयी हैं। प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण हेतु आवश्यकतानुसार सांख्यिकी नियमों और सिद्धान्तों का माध्यम और मानक विचलन का भी प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात् तथ्यों का वर्गीकरण सारणीयन करके शोध प्रबन्ध को मैने लिखा है।

अध्ययन में प्रयुक्त परिवर्त्यः—

किसी भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिये व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रस्थिति द्वारा समझा जा सकता है। व्यक्ति की गतिशीलता सम्बन्धी गतिविधियों को स्पष्ट करने के लिए दो प्रकार के परिवर्त्य का प्रयोग किया गया है।



(1) स्वतन्त्र चरः—

इसके अन्तर्गत जाति परिवार आयु, शिक्षा, आय और भू-आकार (एकड़ में) को सम्मिलित किया गया है। जिनका वर्णन निम्नवत् है।

(अ) जातिगत प्रस्थितिः—

मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता के लिये जातिगत प्रस्थिति अधिक उत्तरदायी है। जैसा की अध्ययन के दौरान यह पाया गया है कि जो व्यक्ति निम्न जाति का है वह अपने से उच्च जाति में जाने के लिए इच्छुक है।

(ब) परिवार का आकार:—

परिवार समाजीकरण की महत्वपूर्ण इकाई है। जैसा की कूले ने कहा है कि "परिवार मानव स्वभाव की पोषिका है।" इस प्रकार परिवार का प्रत्येक समुदाय के लिए उतना ही महत्व है जितना मुस्लिम समुदाय में है। क्योंकि बालक सर्वप्रथम परिवार के ही सम्पर्क में आता है। और परिवार के वातावरण में रहकर विभिन्न प्रकार के गुणों को सीखकर एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। इस प्रकार यह देखा गया है कि जिस परिवार का आकार छोटा तथा मध्यम है उनमें जातीय गतिशीलता विस्तृत परिवार वालों की अपेक्षा अधिक तीव्र है। इस प्रकार परिवार का आकार भी जातीय गतिशीलता के लिए काफी अत्तरदायी है।

(स) आयुगत प्रस्थिति:—

मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता के सन्दर्भ में आयु का विशेष महत्व है। जैसा की अध्ययन करने पर पाया गया है कि युवा वर्ग में जातीय गतिशीलता के प्रति अभिरुचि अधिक है। जबकि क्रमशः इसके बाद प्रौढ़ अति प्रौढ़ तथा वृद्ध वर्ग के उत्तर दाताओं में इसकी गति धीमी होती जा रही है।

(द) शैक्षिक प्रस्थिति:—

मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने क्षेत्र का अध्ययन करने पर पाया कि जो उत्तरदाता उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं उनमें गतिशीलता की गति तीव्र है।

(य) आयगत प्रस्थिति:—

मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता का आय से सीधा सम्बन्ध है। जैसा की हमने अध्ययन में पाया है कि जिस व्यक्ति का आय अधिक है और वह निम्न जाति का है तो वह अपने से उच्च

जाति में जाने के लिए उत्साहित है। यहां तक की वह अपने नाम के बाद उच्च जाति समूह के टाईटिल को जोड़े हुए है। उदाहरण रूप में यह कहा जा सकता है कि रसड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति है वह जाति का डफाली है लेकिन वह अपने नाम के बाद अन्सारी लिखता है।

(र) भू- आकार (एकड़ में):-

मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता को भू आकार ने काफी प्रभावित किया है। जिस उत्तरदाता के पास अधिक भूमि है और वह निम्न तथा मध्यम जाति का है तो वह अपने से उच्च जाति में जाने के लिए उत्सुक है।

(2) आश्रित परिवर्त्य :-

(अ) अपनी जाति:-

आश्रित परिवर्त्य के अन्तरगत अपनी जाति में रहने वाले उत्तरदाताओं का विशेष महत्व है। अपनी जाति में रहने वाले वे उत्तरदाता हैं। जिनकी आर्थिक प्रस्थिति तथा शैक्षणिक प्रस्थिति उच्च है और उनकी जातिगत प्रस्थिति भी उच्च है। जो जातीय गतिशीलता के प्रति अभिरुचि नहीं रखते हैं।

(ब) अपनी जाति से उपर:-

इसके अन्तर्गत उन उत्तरदाताओं को सम्मिलित करते हैं जिनकी आर्थिक व सामाजिक प्रस्थिति निम्न है। फिर भी जातीय गतिशीलता के प्रति अभिरुचि रखते हैं। ऐसे उत्तरदाताओं में निम्न तथा निम्नतम जाति के उत्तरदाता सर्वाधिक हैं। तथा आयु की दृष्टि से युवा वर्ग जातीय गतिशीलता के प्रति अभिरुचि रखने में सर्वाधिक उत्सुक है।

(स) अपनी जाति से निम्न:-

इसके अन्तर्गत उन उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है जो आर्थिक प्रस्थिति खराब होने पर अपनी जाति को छोड़कर अपने से निम्न जाति में प्रवेश करके अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे उत्तरदाताओं में उच्च मध्यम तथा मध्यम वर्ग के अति प्रौढ़ तथा वृद्ध वर्ग के उत्तरदाता हैं।

अध्ययन का सन्दर्भ:—

जाति व्यवस्था एवं इससे जनित सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक परिवेश में जनतांत्रिक मूल्यों ने इस पर प्रबल प्रहार किया है। व्यक्ति की मानसिकता और उसकी वैचारकीय परम्परागत सामाजिक संरचना के लिए एक चुनौती उत्पन्न कर रही है। इससे व्यक्ति की भूमिका और उसकी प्रस्थिति में बदलाव आया है। जो एक नवीन सामाजिक परिवर्तन की दिशा को बोध कराता है। मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता का अध्ययन इस सन्दर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। मुस्लिम समुदाय में वर्तमान समय में शैक्षणिक तथा राजनैतिक प्रस्थिति में वृद्धि हुई है जो जातीय गतिशीलता को प्रेरित किया है। जिसके कारण मुस्लिम समुदाय में जातीय गतिशीलता एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में परिलक्षित होती है।

वास्तव में परम्परागत मुस्लिम समुदाय में जाति व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु को इंगित करता है। बदलते परिवेश में नवीन प्रौद्योगिकीय मूल्यों ने परम्परागत मूल्यों के लिए चुनौती उत्पन्न कर दिया है। एक ऐसे सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को निर्मित किया है। जिसके सन्दर्भ में यह अध्ययन अपरिहार्य एवं महत्वपूर्ण हो जाता है।

अध्ययन मे प्रयुक्त कुछ अवधारणाएं:—

अध्ययन की दृष्टि से मैने कुछ अवधारणाओ को
अपनाया है

जो इस प्रकार है।

(1) जातिगत प्रस्थिति:—

जातिगत प्रस्थिति मे प्रयुक्त अवधारणाएं —

- (अ) उच्च जाति
- (ब) उच्च मध्यम जाति
- (स) मध्यम जाति
- (द) निम्न जाति
- (य) निम्नतम जाति

(2) शैक्षणिक प्रस्थिति:—

शैक्षणिक प्रस्थिति मे प्रयुक्त अवधारणाएं इस प्रकार है।

- (अ) शिक्षित एवं प्राइमरी
- (ब) जूनियर तथा हाईस्कूल
- (स) इण्टरमीडिएट
- (द) स्नातक तथा इसके उपर

(3) आयुगत प्रस्थिति:—

आयुगत प्रस्थिति मे प्रयुक्त आवधारणाएं इस प्रकार है।

- (अ) युवा
- (ब) प्रौढ
- (स) अति प्रौढ

(द) वृद्ध

(4) आयगत प्रस्थिति:—

आयगत प्रस्थिति मे प्रयुक्त आवधारणाए प्रकार है।

(अ) निम्न आय— 0— 20000.00

(ब) मध्यम आय— 21— 60000.00

(स) उच्चतम आय— 61000.00 से उपर

(5) परिवार आकार:—

परिवार आकार के आधार पर प्रयुक्त अवधारणाए निम्न है।

(अ) 0—5 सदस्य

(ब) 6—11 सदस्य

(स) 12 से उपर सदस्य

(6) व्यवसायिक प्रस्थिति:—

व्यवसायिक प्रस्थिति मे प्रयुक्त आवधारणाए निम्नवत है।

(अ) परम्परागत व्यवसाय

(ब) कृषि

(स) नौकरी

(द) व्यापार

(य) अन्य

(7) भू-आकार (एकड़ मे):—

भू-आकार मे प्रयुक्त आवधारणाए इस प्रकार है।

(अ) 0—1 एकड़

(ब) 1—2.50 एकड़

(स) 2.50— 3.50 एकड़

(द) 3.50— 5.00 एकड़

(य) 5.00 से अधिक

(8) राजनैतिक जागरुकता:—

राजनैतिक जागरुकता मे प्रयुक्त आवधारणाए निम्न है।

(अ) अति जागरुक

(ब) मध्यम जागरुक

(स) सामान्य जागरुक

शोध प्रबन्ध का प्रस्तुतीकरण:—

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे उपलब्ध सामंको का वर्गीकरण करने के पश्चात उसका सारणीयन व मापनीय।

वर्गीकरण:—

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे साक्षात्कार तथा अवलोकन द्वारा तथ्य एकत्रीत किये है। जो असम्बद्ध तथा बिखरी हुई स्थिति मे होती है। जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला असम्भव होता है। इस प्रकार सही निष्कर्ष निकालने के लिए शोध अभिकल्प मे वर्गीकरण एवं सारणीयन का सहारा लिया गया है।

वर्गीकरण के अन्तर्गत बिखरी हुई तथा असम्बद्ध सूचनाओ को उनके गुणों के आधार पर या समानता के आधार पर एक वर्ग मे रखा जाता है। और प्राप्त तथ्यो के आधार पर उनका अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि को अपनाने से सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन सुस्पष्ट हो जाता है।

इस प्रकार मुस्लिम समुदाय मे जातीय गतिशीलता के अध्ययन मे वर्गीकरण एवं सारणीयन का उपयोग किया गया है। जिससे यह शोध प्रबन्ध काफी सही एवं सुस्पष्ट हो जाता है।

सारणीयन:—

प्राप्त सूचनाओ का उनकी गुणो के आधार पर वर्गीकरण करने के पश्चात उनका सारणीयन करना सरल होता है। जिससे शोधकर्ता को अध्ययन करने मे अधिक समस्या उत्पन्न होती है। इसका उद्देश्य सूचनाओ को व्यवस्थित रूप प्रदान करना है। वस्तुतः वर्गीकरण सारणीयन

का आधार है। इसके द्वारा प्राप्त तथ्य स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। सारणी वह माध्यम है जिससे तथ्य बोलते हैं। सारणीयन में प्राप्त तथ्यों को ग्राफ पेपर पर मास्टर सीट तैयार करते हैं। इसी पर सारणी में तथ्यों को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इससे आकड़े स्पष्ट सुव्यवस्थित और सरल रूप में विश्लेषण के लिए प्रस्तुत होते हैं। इस सारणी के आकड़ों के अध्ययन करने पर तथ्यों की अर्थपूर्ण व्याख्या होती है।

अध्ययन का महत्व:—

इस्लाम धर्म सामाजिक समानता की अवधारणा पर आधारित है। वास्तव में इस धर्म का उद्भव अरब संस्कृति में प्रचलित सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने के अभिप्राय से हुआ था। इसमें सामाजिक अन्याय के विरुद्ध एक मौलिक परिवर्तन की अवधारणा अन्तर्निहित थी। मुस्लिम समुदाय में जाति व्यवस्था जैसी कोई ऊँच-नीच या अस्पृश्यता की भावना की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐतिहासिक कालक्रम में इसमें जाति जैसी व्यवस्था सम्मिलित हो गयी। जो इसकी एक सामाजिक इकाई के रूप में परिलक्षित होती है। बदलते आधुनिक परिवेश ने मुस्लिम समुदाय को प्रौद्योगिकीय मूल्यों अर्थात् वैज्ञानिक मूल्यों की ओर अभिप्रेरित किया है। इनकी मानसिकता, चिन्तन और व्यवहार प्रतिमान में बहुआयामी परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत इकाई जाति व्यवस्था में परिवर्तन किया है। जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों को जानना अति आवश्यक है। जो समाजशास्त्रीय गवेषणा की विषयवस्तु है। इस अभिप्राय से इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जो एक नयी सामाजिक संरचना की इकाई और सामाजिक व्यवस्था को समझने में अपरिहार्य है।

प्रतिवेदन लेखन:—

यह शोध अध्ययन का लिखित संक्षिप्त विवरण है। इसमें अध्ययन विधि प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण वर्गीकरण सारणीयन है। वास्तव में यह सम्पूर्ण शोध की प्रक्रिया का एक संक्षिप्त विवरण है। ताकि यह अन्य अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध हो सके। इससे प्राप्त निष्कर्षों का पुनर्परिक्षण भी हो सकता है। प्रायः शोधकर्ता शोध समस्या के नकारात्मक संदिग्ध अनिर्णायक पक्षों को छोड़ देता है। जो अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैंने अपने शोध अध्ययन में इन तथ्यों की उपेक्षा नहीं की है। मैंने इनके हर पक्ष को लिखने का प्रयास किया है। इससे प्राप्त निष्कर्ष अनुसंधान की भावी दिशा को इंगित करते हैं। जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह भावी अनुसंधान की विषय वस्तु होता है।

अध्याय योजना:—

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की निम्न लिखित अध्याय योजना है।

- (1) भूमिका
- (2) शोध अभिकल्प और उसकी अन्तर्वस्तु
- (3) उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक,

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि :—

- (4) जातीय गतिशीलता के सामाजिक निर्धारक
- (5) मुस्लिम समुदाय में व्यवसायिक गतिशीलता
- (6) मुस्लिम समुदाय में राजनैतिक जागरुकता
- (7) जातीय गतिशीलता की अभिवृत्त्यात्मक पृष्ठभूमि
- (8) उपसंहार